



अनुबंध - 2

जिन मामलों में भारतीय रज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उन मामलों में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा एक ही शहर, कस्बे या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटर्स के स्थानांतरण के संबंध में रिपोर्ट

1.	(i) बैंक का नाम	
	(ii) प्रधान कार्यालय/केंद्रीय प्रशासनिक कार्यालय का पता	
	(iii) बैंक शाखाओं की कुल संख्या	
	(iv) कार्यालय/शाखा (शाखाओं) का नाम जिसे स्थानांतरित किया गया है और स्थानांतरित करने की तिथि	
	(v) उक्त बिन्दु (iv) के साथ, कृपया उल्लेख करें: i) लाइसेंस संख्या और दिनांक:	
	ii) अनुमोदन संख्या और दिनांक	
	(vi) पूर्वोक्त कार्यालय शाखा का पुराना पता	
	(vii) पूर्वोक्त कार्यालय/शाखा का नया पता	
	(viii) पुराने और नए पतों के बीच की दूरी	
	(ix) क्या पुराने पते पर काम कर रहे पूरे कार्यालय/शाखा(शाखाओं) को नए पते पर स्थानांतरित कर दिया गया है या कार्यालय/कुछ विभागों के केवल एक हिस्से को स्थानांतरित कर दिया गया है/हैं?	
	(x) स्थानांतरण के कारण	
(xi) पुराने पते पर परिसर का निपटान/अभ्यर्पण कैसे किया जाएगा, इसका विवरण		
2.	(i) क्या वह शहर/कस्बा जिसमें कार्यालय स्थित है, ग्रामीण है या अर्ध-शहरी, या शहरी या महानगरीय (पिछली जनगणना के अनुसार)? कृपया विनिर्दिष्ट करें	
	(ii) क्या वह इलाका जहां कार्यालय स्थानांतरित किया गया है – ए) मुख्य रूप से आवासीय है (ग्रामीण/शहरी) बी) मुख्य रूप से वाणिज्यिक (ग्रामीण/शहरी) सी) एक औद्योगिक क्षेत्र (ग्रामीण/शहरी)	
	(iii) क्या नए पते से 400 मीटर के दायरे में अन्य सहकारी बैंक या वाणिज्यिक बैंक की कोई शाखा है? यदि हां, तो विवरण दें (अर्थात् नाम और नए स्थान से दूरी)	
	(iv) क्या कोई अन्य सहकारी या वाणिज्यिक बैंक भी उसी भवन में स्थित है जिसमें कार्यालय/शाखा अब स्थानांतरित हो गई है या उसके बगल या सामने के भवन में स्थित है? यदि ऐसा है तो विवरण दें।	



3.	(i) क्या नया परिसर लीज/किराए पर लिया गया है या स्व-निर्मित या खरीदा गया है? कृपया विनिर्दिष्ट करें:	
	(ii) क्या बोर्ड ने ऐसे विचलन को मंजूरी दी है? (यदि हां, तो कृपया संकल्प की एक प्रति संलग्न करें)	
	(iii) क्या स्थानांतरण को आरसीएस द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? (यदि हां, तो अनुमोदन की एक प्रति संलग्न करें)	
	(iii) यदि नया परिसर खरीदा गया है/स्व-निर्मित है, तो क्या बैंक ने निधियों के निवेश के लिए रजिस्ट्रार की अनुमति प्राप्त की है? यदि हां, तो रजिस्ट्रार के आदेशों की प्रति संलग्न करें यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें कि अनुमति क्यों प्राप्त नहीं की गई ?	
4.	बैंक के प्रधान कार्यालय/प्रशासनिक कार्यालय का स्थानांतरण (उसी इलाके के भीतर) यदि बैंक ने अपना प्रधान कार्यालय/प्रशासनिक कार्यालय स्थानांतरित कर दिया है, तो क्या बैंक का पंजीकृत पता भी बदल जाएगा? यदि हां, तो क्या बैंक ने इस संबंध में राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की है?	
	क्या बैंक ने पंजीकृत पते में परिवर्तन की अलग से सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग (केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय) और नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी है, जैसा कि दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है?	
5.	क्या बैंक के उपनियम में संशोधन की जरूरत होगी?	
	पुष्टि करें कि क्या बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 49सी के तहत उप-नियमों में बदलाव के लिए आरबीआई एनओसी दी गई है (हां/नहीं)	
	यदि हां - बैंक के अनुरोध और आरबीआई एनओसी का विवरण दें (प्रस्तुत प्रति)	
	यदि नहीं - बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 49 सी के तहत एनओसी देने के लिए आरबीआई से संपर्क नहीं करने का कारण	
	सीआरसीएस/आरसीएस अनुमोदन का विवरण (प्रति प्रस्तुत करें)	



मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

हस्ताक्षर _____
(बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम) दिनांक:

अग्रेषित:
भारतीय रिज़र्व बैंक
पर्यवेक्षण विभाग
_____ क्षेत्रीय कार्यालय

2. नाबार्ड,
_____ क्षेत्रीय कार्यालय

संलग्नक:

Note: कृपया इस अनुबंध के साथ-साथ आवश्यक संलग्नक/दस्तावेज/ स्केच-नक्शे आदि दो प्रतियों में जमा करें।